प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'तीन'

प्रश्न सं. [क्र. 1846]

[6/3/2017]

अता. प्र.क्र. 1846

परिशिष्ट "अ"

कार्यालय कलेक्टर जिला राजगढ़ (म.प्र.)

प्रकरण कमांक/01/अ–20(1)2012–13

आदेश

अतारां. प्र.क्र. 1846

(दिनांक 12/10/2012)

परिशिष्ट-"अ"

कमांक/2059/16/नजूल/2012, म.प्र.शासन विधि एवं विधायी कार्यविभाग भोपाल के पत्र कमांक 4212/21–ब(1) दिनांक 05/01/2011 के द्वारा तहसील पचोर जिला राजगढ़ में सिविल कोर्ट की स्थापना हेतु न्यायालय भवन तथा न्यायाधीश के निवास हेतु आवास गृह निर्माण हेतु भूमि आवंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर से जॉच कर प्रतिवेदन सहित प्राप्त। प्रकरण का अवलोकन किया। तहसीलदार पचोर द्वारा उद्घोषणा जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत पचोर के पत्र कमांक 1006 दिनांक 12/09/2011 द्वारा न्यायालय भवन तथा न्यायाधीश के निवास हेतु आवास गृह निर्माण हेतु पचोर की प्रस्तावित शासकीय भूमि सर्वे नंबर 249 रकबा 1.556 हेक्टर भूमि आवंटन में कोई आपत्ति नहीं होने का अभिमत दिया गया। तहसीलदार पचोर के प्रतिवेदन दिनांक 17/09/12 द्वारा पचोर की प्रस्तावित शासकीय भूमि सर्वे नंबर 249 रकबा 1.556 हेक्टर चरनोई राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 3 से 1 किमी दूरी पर है। न्यायालय भवन तथा न्यायाधीश के निवास हेतु आवास गृह निर्माण हेतु उपयुक्त होने से भूमि आवंटन किये जाने की अनुशंसा की गई। अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर द्वारा भी तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त की गई।

राजस्व पुस्तक परिपत्र 4–1 की कंडिका 36 के प्रावधान अनुसार पचोर की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 249 रकबा 1.556 हेक्टर भूमि तहसील पचोर में सिविल कोर्ट की स्थापना हेतु नवीन न्यायालय भवन एवं न्यायाधीश के आवास भवन निर्माण हेतु सुरक्षित की जाती है।

कलेक्टर
जिला राजगढ़, म0प्र0

पृ0 क0/2060/16/नजूल/2012

राजगढ़, दिनांक 12/10/2012

प्रतिलिपि –

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजगढ़ की ओर अग्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी (एस.सी.दो शाखा) कलेक्ट्रेट राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अनुविभागीय अधिकारी, सारंगपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. तहसीलदार पचोर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर,
जिला राजगढ़, म0प्र0

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
राजस्व विभाग